

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019- 60110-115

शिमला-171009

दिनांक 18.9.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-55421-458 दिनांक 27.08.2020 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	विकास खण्ड:-सदर					
1	सुई सुरहाड़	1 सुरहाड़	बाड़नू -दिगथली (मुख्यावास बल्हरीडी)	1 भडोखर	1 सुरहाड़	
		2 बुगाड़		2 दिगथली	2 बुगाड़	
		3 चीलग		3 भोजपुर	3 चीलग	
		4 बठोह		4 घनसेड़	4 बठोह	
		5 सुई		5 बाड़नू	5 सुई	
		6 भडोखर				
		7 दिगथली				

		8 भोजपुर			
		9 घनसेड़			
		10 बाड़नू			
2	धारटटोह	1 धारटटोह	सोलग जुरासी	1 सोलग जुरासी	1 धारटटोह
		2 सोलग जुरासी			
		3 दरोबड़	दरोबड़	1 दरोबड़	
		4 डिब हंवाणी		2 डिब हंवाणी	
		5 गुणु गानोड़ा		3 गुणु गानोड़ा	
		6 वल्मा घाट		4 वल्मा घाट	
		7 पनाली		5 पनाली	
		8 नली चंगर		6 नली चंगर	
		9 नेरी जांजर		7 नेरी जांजर	
		10 झोर		8 झोर	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019- 60110-115

शिमला-171009

दिनांक 18-9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

संयुक्त सचिव (पं0राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019- 60116-129

शिमला-171009

दिनांक 18.9.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-55583-590 दिनांक 28.08.2020 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	विकास खण्ड :-घुमारवी					
1	अमरपुर	1 पनौल	पनौल	1 पनौल	1 अमरपुर	
		2 अमरपुर				
2	छत	1 सण्डयार	सण्डयार	1 सण्डयार	1 छत	
		2 स्यौथा		2 स्यौथा	2 लुरहाणी	
		3 हिम्मर			3 हिम्मर	
		4 लुरहाणी				
		5 छत				
2	विकास खण्ड:-झण्डुता					

1	बैहना ब्राहमणां	1 बैहना ब्राहमणां	बाला	1 बाला	1 बैहना ब्राहमणां	
		2 बैहरन			2 बैहरन	
		3 बाला				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019- 60116-129 शिमला-171009 दिनांक 18.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

संयुक्त सचिव (पं0राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।